प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश हेतु आरक्षित दिनांक 31-7-2019

आदेश उदघोषित दिनांक 13-8-2019

दांडिक अपील क्रमांक -2728/1999

(अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर, सत्र खण्ड, बिलासपुर, मध्य प्रदेश (वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य) द्वारा सत्र पकरण क्रमांक 329/1995 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 30.09.1999 के निर्णय से उद्भूत।

.....

1. पंचमलाल, आयु लगभग 34 वर्ष, पिता- माल्हा
2. **रंभा बाई (मृत, अपील उपशमन)**
3. छोटे, आयु लगभग 34 वर्ष, पिता- मल्हा राम
4. रूप राम, आयु लगभग 29 वर्ष ।

अपीलकर्ता संख्या 1, 3 एवं 4 निवासी - ग्राम दर्री , पोस्ट आफिस – पामगढ़, तहसील जांजगीर, जिला- चांपा

---याचिकाकर्तागण

-बनाम-

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

---उत्तरदाता

अपीलार्थियों की ओर से	:	श्री पुष्पेंद्र कुमार पटेल, अधिवक्ता की ओर से सुश्री ऋचा द्विवेदी, अधिवक्ता ।
राज्य की ओर से	:	श्री आशुतोष पांडे, पैनल अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

1. इस दांडिक अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जांजगीर, सत्र प्रभाग, बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब सीजी) द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 329/1995 में दिनांक 30.09.1999 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दण्डादेश को चुनौती दी गई है , जिसके तहत उन्होंने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक को 5 साल के लिए सश्रम कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई, जुर्माना न चुकाये जाने के व्यतिक्रम में 2 महीने के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है।

2. अपीलकर्ताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मृतका दिलीप कुमारी का विवाह घटना दिनांक से 2-3 वर्ष पूर्व अपीलकर्ता क्रमांक 1-पंचम लाल के साथ सम्पन्न हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षेप में अभियोजन की कहानी यह है कि अपीलकर्ता क्रमांक -3- छोटे लाल, अपीलकर्ता क्रमांक 4- रूप राम मृतका के देवर हैं। विवाह के पश्चात अपीलकर्ता उसे प्रताड़ित करते थे कि वह घरेलू काम नहीं करती है। प्रताड़ना के कारण मृतका ने दिनांक 29.05.1994 को कीटनाशक पी लिया। उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - जांजगीर चांपा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया गया। दिनांक 30.05.1994 को उसकी मृत्यु हो गई। थाना जांजगीर में मर्ग सूचना दर्ज की गई। अन्वेषण के पश्चात थाना जांजगीर में एफ .आई.आर. दर्ज की गई। विवेचना पूरी होने के बाद उनके खिलाफ धारा 306, 498-ए सहपठित धारा 34 के तहत अभियोग-पत्र दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय ने उनके खिलाफ धारा 306/34 के तहत आरोप विरचित किए। आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों से पूछताछ की। उन्होंने अपने बचाव में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की। विचारण पूरा होने के बाद विचारण न्यायालय ने उन्हें सिद्वदोष पाया एवं और सजा सुनाई।

4. व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने यह अपील पेश की है। इस अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता संख्या 2- श्रीमती रंभा बाई की मृत्यु के कारण उनके खिलाफ अपील को उपशमन कर दिया गया।

5. अपीलकर्ता क्रमांक- 1, 3 और 4 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा। अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 306 के आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में विफल रहा। इस प्रकार, अपीलकर्ता संख्या 1, 3 और 4 की सजा और दोषसिद्धि कानून की दृष्टि से गलत है। इसलिए , उन्हें उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किया जा सकता है।

6. राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता संख्या 1, 3 और 4 की दोषसिद्व और दण्डादेश पुख्ता सबूतों पर आधारित है। अपीलकर्ता क्रमांक -1, 3 और 4 की दोषसिद्व और दण्डादेश इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती है।

7. कथित एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्श पी-11, अ.सा..-11 द्वारा डॉ. यू.सी. शर्मा ने मृतका की जांच की थी, जिसे गंभीर हालत में उनके सामने लाया गया था। उन्होंने पाया था कि उसने ऑर्गनोफॉस्फोरस का सेवन किया था। उनके अनुसार उसने ऑर्गनोफॉस्फोरस का सेवन किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि प्रदर्श-पी/11 विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार, यह न्यायालय प्रदर्श-पी/11 पर विश्वास करता है।

9. कथित पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-पी-13 अ.सा.-11 के अनुसार डॉ. यू.सी. शर्मा ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया था और पाया था कि उसके नाक और मुंह से झाग के साथ बलगम निकल रहा था। उसके स्वरयंत्र और श्वासनली में झाग के साथ बलगम मौजूद था, उसके पेट से कीटनाशक ऑर्गनोफॉस्फोरस की दुर्गंध आ रही थी। उन्होंने कहा कि उसकी मृत्यु 2-4 घंटे पहले हुई थी। मृत्यु का कारण संदिग्ध ऑर्गनोफॉस्फोरस विषाक्तता के परिणामस्वरूप दम घुटना था।

10. अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि प्रदर्श-पी-13 विश्वसनीय नहीं है। इस प्रकार, यह न्यायालय प्रदर्श-पी-13 पर विश्वास करता है।

11. अ.सा.-1 देवी राम, जो मृतका का भाई है, अ.सा.--2 सावित्री बाई, जो मृतका की भाभी है, ने पैरा-2 में कथन किया है, अ.सा.--3 बड़कू, जो मृतका का मामा है, ने पैरा-3 में कथन किया है, अ.सा.--5 श्रीमती बालमती ने पैरा-1 में कथन किया है, अ.सा.--7 भरत लाल ने पैरा-4 में कथन किया है, अ.सा.--9 मदन ने पैरा-4 में

कथन है, अ.सा.--13 फेकू लाल ने शपथ पर दिए गए अपने बयानों के पैरा -1 में कथन किया है कि मृतका का पति और उसके देवर (देवर) उसे परेशान करते थे।

12. कथित मृत्युकालिक कथन के अनुसार अ.सा.--1 मृतका ने अपने पति , देवरों के उत्पीड़न के कारण सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के प्रावधानों को उद्धृत करना समीचीन होगा:-

"306. आत्महत्या का दुष्प्रेरण- यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी , दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।"

14. भारतीय दंड संहिता की धारा-107 के प्रावधान ध्यान देने योग्य हैं, जो इस प्रकार हैं:-

"धारा 107- किसी बात का दुष्प्रेरण-- वह व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो-

पहला- उस बात को करने के लिये किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा- उस बात को करने के लिये किसी षड्यन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है , यदि उस षड्यन्त्र के अनुसरण में , और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाय; अथवा

तीसरा- उस बात के किये जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है ।

स्पष्टीकरण 1- जो कोई व्यक्ति जान-बूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिये वह आबद्ध है , जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है , अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2- जो कोई या तो किसी कार्य के किये जाने से पूर्व या किये जाने के समय, उस कार्य के किये जाने को सुकर बनाने के लिये कोई बात करता है , और एतद्वारा उसके किये जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।"

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस.एस. चीना बनाम विजय कुमार महाजन और अन्य** [(2010) 12 एससीसी 190] के मामले में, जिसमें आत्महत्या नोट में आरोपी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को उकसाने के अपराध से दूर-दूर तक नहीं जोड़ा गया था, निर्णय के पैरा 25 में कहा गया कि:-

> **"25.** उकसाने में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को किसी काम को करने में मदद करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। आरोपी की ओर से आत्महत्या करने के लिए उकसाने या मदद करने के लिए सकारात्मक कार्य किए बिना, दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। विधान की मंशा और इस न्यायालय द्वारा तय मामलों के अनुपात से स्पष्ट है कि धारा 306 आईपीसी के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है, जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या करनी पड़ी और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि उसने आत्महत्या कर ली।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरीलाल जायसवाल** [(1994)-1 एससीसी 73] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 17 में अभिनिर्धारित किया है कि:-

> "..... न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों का आकलन करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। यदि न्यायालय को यह पता चलता है कि आत्महत्या करने वाली पीड़िता सामान्य चिड़चिड़ापन, कलह और घरेलू जीवन में मतभेदों के प्रति अतिसंवेदनशील थी, जो उस समाज में काफी आम है, जिसमें पीड़िता थी और इस तरह के चिड़चिड़ापन, कलह और मतभेदों से किसी दिए गए समाज में समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं थी, तो न्यायालय की अंतरात्मा को यह निष्कर्ष निकालने के लिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के अपराध को बढ़ावा देने के आरोपी को दोषी पाया जाना चाहिए....."

17. **महेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य** [1995 अनुपूरक] के मामले में (3) एस.सी.सी. 731], माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 1 में मृतका के मृत्युकालिक बयान को उद्धृत किया गया है, जो इस प्रकार है:-

> "मेरी सास और पति तथा जेठानी (पति के बड़े भाई की पत्नी) ने मुझे परेशान किया। उन्होंने मुझे मारा-पीटा तथा गाली-गलौज की। मेरा पति महेंद्र दूसरी शादी

करना चाहता है। उसके मेरी बहन (साली) के साथ अवैध संबंध हैं। इन कारणों से और परेशान होकर मैं जलकर मरना चाहती हूँ। **एस.एस. चीना** (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **महेंद्र सिंह** (पूर्वोक्त) के मामले में, वह पीठ इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची थी कि किसी भी तरह से मृतक के उपरोक्त बयान पर उकसावे के तत्व आकर्षित नहीं होते हैं।

18. **रमेश कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य** [(2001) 9 एससीसी 618] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पति और पत्नी के बीच विवाद के एक मामले से निपटने का अवसर मिला, अपीलकर्ता/पति ने कहा कि "आप जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं और जहाँ चाहें जाएँ" इसके बाद अपीलकर्ता की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। निर्णय का पैरा 20 नीचे उद्धृत है:-

> "20. उकसाना किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, भड़काना, प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना है। हालांकि उकसाने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस प्रभाव के लिए वास्तविक शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए या जो उकसावा बनता है वह आवश्यक रूप से और विशेष रूप से परिणाम का संकेत होना चाहिए। फिर भी परिणाम को उकसाने के लिए एक उचित निश्चितता को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहां अभियुक्त ने अपने कार्यों या चूक या आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, जिस स्थिति में उकसावे का अनुमान लगाया जा सकता है। वास्तव में परिणाम आने की मंशा के बिना क्रोध या भावना में बोले गए शब्द को उकसावा नहीं कहा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. **चित्रेश कुमार चोपड़ा - बनाम राज्य (दिल्ली सरकार)** [(2009) 16 एससीसी 605] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह मामला ऐसा नहीं है जहां अभियुक्त ने अपने कार्यों या चूक या आचरण के निरंतर क्रम से ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी कार्य को करने के लिए उकसाने, उकसाने या प्रोत्साहित करने का आशय होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या का पैटर्न दूसरे से अलग होता है।प्रत्येक व्यक्ति का आत्म-सम्मान और स्वाभिमान के बारे में अपना विचार होता है। इसलिए ,ऐसे मामलों से निपटने में कोई सख्त फार्मूला तय करना असंभव है । प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

20. **मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य** [एआईआर 2014 एससी 1782] के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

> "एक महिला विभिन्न कारणों से आत्महत्या करने का प्रयास कर सकती है, जैसे कि अवसाद, वित्तीय कठिनाइयाँ, प्यार में निराशा, घरेलू चिंताओं से थक जाना, तीव्र या पुरानी बीमारियाँ इत्यादि और इसके लिए उकसाने की ज़रूरत नहीं है।

21. अ.सा.-1 देवी राम ने पैरा-10 में, अ.सा.-2 सावित्री बाई ने पैरा-7 में, अ.सा.-3 बड़कू ने पैरा-5 में, अ.सा.-4 धर्मिन बाई ने पैरा-3 में, अ.सा.-5 श्रीमती बालमती बाई ने पैरा-4 में, अ.सा.-7 भरत लाल ने पैरा-5 में, अ.सा.-13 फेकू लाल ने पैरा-3 में कथन किया है कि घटना दिनांक से एक वर्ष पूर्व मृतका अ.सा.-1 देवी राम के घर में रह रही थी, इस अवधि में मृतका ने अपीलार्थी क्रमांक 1, 3 एवं 4 से कोई संबंध नहीं बनाए थे। साथ ही अ.सा.सा.-8 कमरू ने शपथ पर दिए गए अपने कथन के पैरा-6 में कथन किया है कि मृतका को अपने ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता संख्या 1, 3 और 4 ने कथित तौर पर मृतका को इस तरह से परेशान या प्रताड़ित किया था, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था, बल्कि उसने आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था, अपीलकर्ता संख्या 1, 3 और 4 की ओर से स्पष्ट रूप से यह मनः स्थिति थी कि उसे आत्महत्या करनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वैवाहिक जीवन में सामान्य चिड़चिड़ापन, कलह और मतभेद समाज में काफी आम हैं और कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि किसी का आत्महत्या करने का इरादा था।

23. मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, **एस.एस. चीना** (पूर्वोक्त), **पश्चिम बंगाल राज्य** (पूर्वोक्त), **महेंद्र सिंह** (पूर्वोक्त), **रमेश कुमार** (पूर्वोक्त), **चित्रेश कुमार चोपड़ा** (पूर्वोक्त), और **मंगत राम** (पूर्वोक्त), में उल्लिखित न्यायिक पूर्वोक्तियाँ को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि अ.सा.-1 देवी राम, अ.सा.-2 सावित्री बाई के पैरा-2, अ.सा.-3 बड़कू के पैरा-3, अ.सा.-5 बालमती के पैरा-1, अ.सा.-7 भरत लाल के पैरा-4 और अ.सा.-9 मदन के पैरा-4, अ.सा.-13 फेकू लाल के पैरा-1, प्रदर्श- पी-1 की उपरोक्त सामग्री, मृतक द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने, साजिश में शामिल होने, जानबूझकर सहायता करने के रूप में नहीं आती है। कथित

उत्पीड़न आत्महत्या करने का एक कारण हो सकता है लेकिन इसे उपशमन के बराबर नहीं माना जा सकता है।

24. इस न्यायालय ने पूर्व में चर्चित साक्ष्यों के विवेचन के पश्चात पाया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी संख्या 1,3 एवं 4 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी संख्या-1,3 एवं 4 की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के उपरोक्त निर्णय को अपास्त किया जाता है।

25. अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थी संख्या 1-पंचम लाल, अपीलार्थी संख्या 3- छोटे लाल एवं अपीलार्थी संख्या 4- रूप राम को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

26. अपीलकर्ता संख्या 1, 3 और 4 द्वारा जमा की गई जुर्माना राशि, पक्षों को उपलब्ध कानूनी कार्रवाई के लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात उन्हें वापस कर दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. अपीलकर्ता संख्या 1, 3 और 4 को जमानत पर बताया गया है। उनकी जमानत और बन्धपत्र सीआरपीसी की धारा 437-ए में निहित प्रावधान के अधीन उन्मोचित कर दिए गए हैं।

हस्ता/-

(शरद कुमार गुप्ता)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**